प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / जे0एस0एस0के0 / 93–5 / 2016–17/3539-75 दिनांक ~~.6.2016~~ 19-7-16

विषय– वित्तीय वर्ष 2016–17 में ''जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम'' के संचालन हेतु आर0ओ0पी0 उपलब्ध होने तक लक्ष्य एवं प्रथम किश्त की धनराशि के आबंटन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि प्रदेश की प्रत्येक गर्भवती महिला को सभी स्वास्थ्य सेवायें निःशुल्क प्रदान किये जाने हेतु आपके जनपद में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पूर्व में भी वर्ष 2016–17 में भारत सरकार से स्वीकृतियाँ प्राप्त होने तक जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यथावत संचालित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं। वर्तमान में भारत सरकार ने प्रसव पूर्व सेवाओं के नवीन संशोधित मानक लागू किये हैं जिसके अनुक्रम में वर्ष 2016–17 की राज्य कार्यकारी की योजना में संशोधित मानक प्रस्तावित किये गये हैं किन्तु भारत सरकार से स्वीकृतियाँ प्राप्त होने तक वर्ष 2016–17 के लिये निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्यक्रम के निरन्तर संचालन हेतु गत वर्ष की दर से ही प्रथम किश्त की धनराशि का आबंटन किया जा रहा है। जिसके दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं–

1. निःशुल्क परिवहन सुविधा:–

1.1. प्रत्येक जनपद को राजकीय चिकित्सा इकाईयों पर प्रदेश में संचालित ''102'' गाड़ियों से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करानी है। यह 102 एम्बुलेन्स सेवा गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं 01 वर्ष तक के शिशुओं घर से चिकित्सा इकाई तक आने, चिकित्सा इकाई से घर तक जाने एवं चिकित्सा इकाई से उच्च इकाई के लिये सन्दर्भन, सभी परिवहन आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी।

1.2. गम्भीर रूप से बीमार गर्भवती महिलाओं अथवा प्रसूताओं को उच्च चिकित्सकीय इकाईयों पर सन्दर्भित करने हेतु जनपद में उपलब्ध 108 एवं 102 दोनों प्रकार की एम्बुलेन्स वाहनों, का उपयोग किया जा सकता है। यह मुख्य चिकित्साधिकारी व चिकित्सा इकाईयों के प्रभारियों का उत्तरदायित्व है कि वे आवश्यकतानुसार इन वाहनों की उपलब्धता के आधार पर उपयोग सुनिश्चित करें।

1.3. बहुधा यह देखा गया है कि प्रसूता के रिश्तेदार स्वयं ही 102 एम्बुलेन्स वाहनों को प्रसूति के पश्चात बुलाकर जल्दी घर चले जाते हैं ऐसी स्थिति में चिकित्सालय पर 48 घण्टे तक माँ व बच्चे का विशेष ध्यान रखना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः यह ध्यान रखा जाये कि चिकित्सा इकाइयों से 102 ड्रॉप–बैक सुविधा चिकित्सा प्रभारियों के माध्यम से ही उपलब्ध करायी जाये।

2. निःशुल्क भोजन व्यवस्था:–

2.1. प्रसवोपरान्त प्रथम 48 घंटे माँ व बच्चे दोनों के लिये अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अधिकतर जटिलतायें व मृत्यु इस अवधि में ही होती हैं। हमारी पूरी रणनीति प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को इस अति संवेदनशील अवधि में चिकित्सालय में चिकित्सकों की निगरानी में रखने की होनी चाहिए। इसके लिये सभी प्रसव इकाईयों पर प्रसवोपरान्त महिलाओं को कम से कम 48–72 घंटे तक रोकने की पर्याप्त व्यवस्था की जाय।

2.2. वर्ष 2016–17 में भी प्रत्येक जनपद को सभी जनपद व ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों तक निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करानी है। कृपया इस सम्बन्ध में सभी जिला महिला चिकित्सालयों को भी व्यापक निर्देश जारी कर इनके मैटरनिटी वार्डों में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के मद से अनुमोदित दर के अनुरूप ही निःशुल्क भोजन की सुविधा तत्काल उपलब्ध करा दी जाये।

2.3. भोजन प्रदान करने हेतु धनराशि का आंगणन जिला कार्ययोजना के माध्यम से जनपदों द्वारा लक्ष्य निर्धारण गत वर्ष जनपद की एल–2 व एल–3 प्रसव इकाइयों पर हुए संस्थागत प्रसवों के अनुपात में किया गया है जो **एफ0एम0आर0 कोड ए.1.6.4** पर प्रदर्शित है। निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी रू0 100.00 प्रति दिन की अधिकतम दर तक धनराशि व्यय की जा सकती है जिसमें सुबह का नाश्ता एवं दो समय का भोजन सम्मिलित होगा। इस धनराशि से जनपद के समस्त जनपद व ब्लॉक स्तरीय एल–2 व एल–3 प्रसव इकाईयों तक गर्भवती महिलाओं/प्रसूताओं को चिकित्सालय में रूकने की सम्पूर्ण अवधि के दौरान निःशुल्क स्थानीय स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए भोजन सुविधा उपलब्ध करवाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा इकाई एवं मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा। इस हेतु स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाये।

2.4. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भोजन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात निःशुल्क भोजन की उपलब्धता में प्रगति हुई है किन्तु कुछ जनपद अभी भी भोजन मद में अधोप्रगति दर्शा रहे हैं। जिन जनपदों पर टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का चयन सम्भव नहीं हो पाया है अथवा वेण्डर छोड़कर चले गये हैं, वे जिला स्वास्थ्य समिति से स्वीकृति प्राप्त कर खण्ड विकास अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर अच्छे व क्रियाशील स्वयं सहायता समूहों का चयन कर उनके माध्यम से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें।

2.5. गर्भवती महिलाओं व प्रसूताओं (सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव) को भर्ती के दौरान निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु भर्ती दिवसों की सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से ही सामान्य प्रसव में औसतन 02 दिवस व सीजेरियन प्रसव में औसतन 05 दिवस की अवधि की दर से धनराशि का आंगणन किया गया है। यदि चिकित्सकीय कारणों से भर्ती की अवधि बढ़ा दी जाती है तो भर्ती वाले अतिरिक्त दिनों में भी निःशुल्क भोजन की सुविधा प्रदान की जाये एवं भोजन पर हुआ व्यय भी स्वीकृत दर पर ही बुक किया जाये।

2.6. अन्तिम विकल्प के रूप में यदि किसी इकाई पर ताजे भोजन की व्यवस्था न की जा सके, तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गर्भवती महिला/प्रसूता को आधे लीटर दूध की दो थैली (लगभग रू0 40.00), दो फल अथवा दो अण्डे (लगभग रू0 20.00), दोनों समय अच्छे ब्राण्ड की डबलरोटी तथा 20 ग्राम पैकेज्ड मक्खन उपलब्ध कराया जा सकता है। अति निम्न दरों पर उपलब्ध अधोमानक खाद्य पदार्थ क्रय करने के स्थान पर गुणवत्तापरक भोज्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने का प्रयास अपेक्षित है।

2.7. संज्ञान में आया है कि महिलाओं के नाश्ते के बाद छुट्टी हो जाने पर उनके पूरे दिवस के डाइट के आँगणन में दुविधा आती है अतः सुविधा के लिये प्रति दिवस भोजन हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 100.00 को आवश्यकतानुसार नाश्ते/लन्च/डिनर में विभक्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था को वेण्डर के साथ हुये अनुबन्ध में सम्मिलित कर लिया जाये। इस मद में उपलब्ध धनराशि का समायोजन लाभार्थियों द्वारा वास्तविक रूप में उपभोग की गयी सेवाओं के आधार पर किया जाय। इस सम्बन्ध में जिला स्वास्थ्य समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

2.8. पूर्व में प्रेषित किये गये विस्तृत दिशा–निर्देशों का संज्ञान लेते हुए चयन, अनुमोदन, अनुबन्ध, रिपोर्टिंग, सत्यापन तथा भुगतान आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय तथा उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का ही होगा।

2.9. जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत भोजन की सुविधा प्रदान कर रही प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई को निम्नलिखित प्रारूप पर जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर व्यवस्थित करना अनिवार्य है। भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु स्वास्थ्य इकाई के वार्ड प्रभारी को उत्तरदायित्व दिया जाये व प्रत्येक दिन उनके द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को दिये गये भोजन के विवरण को सत्यापित करते हुए हस्ताक्षर किये जायें। राज्य, मण्डल अथवा जिला स्तरीय अधिकारी जब भी अनुश्रवण हेतु चिकित्सा इकाइयों पर भ्रमण करें तो इस रजिस्टर का अवलोकन अवश्य करें।

जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर									
					दी गयी डाइट की संख्या				
क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	भर्ती की तिथि एवं समय	प्रसव की तिथि एवं समय	चिकित्सालय से छुटटी किये जाने की तिथि एवं समय	नाश्ता @ रू0..... (ब्रेड रोटी / दूध / अण्डा / मक्खन)	दोपहर का भोजन @ रू0.....	रात्रि का भोजन @ रू0.....	चिकित्सालय में भर्ती के दौरान डाइट पर हुआ कुल व्यय रू0...	वार्ड प्रभारी के हस्ताक्षर

3. निःशुल्क उपचार (औषधि एंव कंज्यूमेबिल्स की व्यवस्था):–

3.1. इस मद से वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात सभी आवश्यक औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी हैं। निःशुल्क औषधि व उपचार प्रदान करने का लक्ष्य जनपद में गर्भवती महिलाओं के आच्छादन को सम्मिलित करते हुये निर्धारित किया गया है जो कि जननी सुरक्षा योजना के लक्ष्य से कहीं अधिक है। इस सुविधा से उन गर्भवती महिलाओं को भी लाभ दिया जाना है जो अन्ततः किसी कारणवश हमारी राजकीय इकाईयों में प्रसव नहीं करा सकेंगी किन्तु प्रसव पूर्व सेवायें प्राप्त करेंगी। प्रत्येक जनपद का लक्ष्य संलग्न तालिका (संलग्नक–1) पर प्रदर्शित है।

3.2. वर्तमान में प्रसव पूर्व सेवाओं के नवीन संशोधित मानकों एवं दिशा–निर्देशानुसार प्रदेश की कुल 50.00 लाख गर्भवती महिलाओं को इस योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी गर्भवती महिलाओं को द्वितीय व तृत्रीय त्रैमास (छः माह) में सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन 01 गोली आयरन की एवं 02 गोली कैल्सियम की दी जानी हैं। इसी प्रकार प्रसव पश्चात भी छः माह तक प्रतिदिन 01 गोली आयरन की एवं 02 गोली कैल्सियम दी जानी हैं। गर्भावती को एनीमिया होने की स्थिति में प्रतिदिन 02 आयरन की गोली दी जायेंगी। ए0एन0एम0 प्रत्येक गर्भवती द्वारा द्वितीय त्रैमास में एलबेन्डाजॉल की 01 गोली वी0एच0एन0डी0 सत्र में अपने सामने खाना सुनिश्चित करेगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त गर्भकाल में होने वाली सामान्य बीमारियों का उपचार, गम्भीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को आयरन सुक्रोज द्वारा चिकित्सा, उच्च रक्तचाप आदि का उपचार भी इसी मद से उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान में प्रसव पूर्व देखभाल हेतु रू0–100.00 प्रति गर्भवती की दर से ही छः माह की धनराशि प्रेषित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा संशोधित दरें स्वीकृत किये जाने पर जनपदों को अतिरिक्त धनराशि आबंटित की जायेगी।

3.3. इसी प्रकार राजकीय प्रसव इकाइयों पर निःशुल्क सामान्य प्रसव सेवा उपलब्ध कराने हेतु पूर्ववत रू0–300.00 प्रति सामान्य प्रसव की दर से एवं ऑपरेशन द्वारा प्रसव पर पूर्ववत रू0–1600.00 प्रति सीजेरियन प्रसव की दर से छः माह की धनराशि प्रेषित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा संशोधित दरें स्वीकृत किये जाने पर जनपदों को अतिरिक्त धनराशि आबंटित की जायेगी।

3.4. प्रदेश के एफ0आर0यू0 को क्रियाशील करने हेतु एस0बी0आर0टी0, प्रत्येक माह की 09 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक एवं छमाही मातृत्व सप्ताह के सफल आयोजन हेतु सभी निःशुल्क औषधि व कन्ज्यूमेबिल्स की व्यवस्था भी इसी मद से की जायेगी।

3.5. निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद की भौतिक प्रगति की रिपोर्ट भेजते समय आउटरीच सेवाओं व ए0एन0सी0 क्लीनिकों से उन गर्भवती महिलाओं की संख्या भी सम्मिलित की जाये जिनको एलबेन्डॉजॉल, कैल्शियम तथा आई0एफ0ए0 आदि प्रसव पूर्व सेवाओं की सुविधा प्रदान की गयी हो। किसी भी स्थिति में 01 गर्भवती महिला को दोबारा न गिना जाये अतः उचित होगा कि एम0सी0टी0एस0 में अंकन से ही भौतिक प्रगति का सत्यापन किया जाये।

3.6. संलग्नक–2 पर प्रस्तुत Essential Drug List (EDL)-2016-17 में सम्मिलित औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स के अतिरिक्त भी आवश्यकतानुसार रेट कॉन्ट्रैक्ट पर उपलब्ध औषधियाँ क्रय की जा सकती हैं। यह EDL सभी चिकित्सा इकाइयों पर दवा काउण्टरों एवं लेबर रूम के बाहर प्रदर्शित हो व चिकित्सा इकाई प्रभारियों के पास सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध रहे। EDL को दीवार पर इस प्रकार पेन्ट करा दें कि प्रत्येक दवा के सामने प्रत्येक माह उसकी उपलब्धता की स्थिति चॉक से अंकित की जा सके। ध्यान रहे कि यह सूची अनन्तिम नहीं है बल्कि न्यूनतम है, इसमें जनपद स्तर पर आवश्यकतानुसार रेट कॉन्ट्रैक्ट पर उपलब्ध अन्य औषधियाँ भी सम्मिलित की जा सकती हैं।

3.7. सभी मुख्य चिकित्साधिकारी अपने अधीन उपजनपदीय प्रसव इकाईयों के प्रभारियों एवं ब्लाक चिकित्सा प्रभारियों के साथ बैठक कर उनकी वर्ष भर की आवश्यकता का आंकलन करवाकर मांगपत्र प्राप्त कर लें। तत्पश्चात उसके आधार पर आवश्यकतानुसार इकाईवार दवाईयों का क्रयादेश जारी करें।

3.8. जनपद स्तर पर स्थापित एल–3 प्रसव इकाइयों (जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय) को अलग से बजट आबंटित कर दिया जाये जिससे वे स्वयं अपनी इकाइयों पर औषधियों अथवा कन्ज्यूमेबिल्स की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था जिला स्वास्थ्य समिति में चर्चा कर उनके सामान्य एवं सीजेरियन प्रसव भार एवं आवश्यकता का आंकलन करने के पश्चात कर ली जाये। प्रसव पूर्व देखभाल हेतु सभी आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना मुख्य चिकित्साधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व है। प्रत्येक माह औषधियों की उपलब्धता की सूचना यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पर अवश्य अंकित कर दें।

3.9. फर्मों द्वारा आपूर्ति की सुविधा के लिये क्रयादेश वर्ष में 3 या 4 फांट में किया जाये। सभी औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स की प्राप्ति की सत्यापित रसीद जनपदीय प्रसव इकाईयों एवं ब्लाक चिकित्सा प्रभारियों के स्तर से प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्य चिकित्साधिकारी सम्बन्धित फर्मों को भुगतान करें। यह ध्यान रखें कि भुगतान बिल प्राप्ति के एक माह के भीतर अवश्य कर दिया जाये।

3.10. यदि कोई फर्म ऑर्डर करने पश्चात राजकीय नियमानुसार निर्धारित अवधि में औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स की आपूर्ति नहीं करती है तो इसकी सूचना राज्य स्तर पर स्थापित निदेशक, औषधि भण्डार, स्वास्थ्य भवन को अवश्य दें।

3.11. इस वर्ष 2016–17 के लिये निःशुल्क उपचार के मद में प्रथम किश्त के रूप में उपलब्ध करायी जा रही जनपदवार धनराशि एफ0एम0आर0 कोड ए.1.6.1 पर उपलब्ध है। सभी राजकीय चिकित्सा इकाईयों एवं आउट–रीच सत्रों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार हेतु आवश्यक औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का है।

4. <u>निःशुल्क खून पेशाब की जांचें तथा अल्ट्रासाउण्ड सुविधाः–</u>

4.1. निःशुल्क जाँचें प्रदान करने का लक्ष्य जनपद में गर्भवती महिलाओं के आच्छादन को सम्मिलित करते हुये निर्धारित किया गया है जो कि जननी सुरक्षा योजना के लक्ष्य से कहीं अधिक है। इस सुविधा से उन गर्भवती महिलाओं को भी लाभ दिया जाना है जो अन्ततः सरकारी इकाईयों पर संस्थागत प्रसव नहीं करायेंगी। अतः इस लक्ष्य के सापेक्ष जनपद की प्रगति की रिपोर्ट भेजते समय आउटरीच सेवाओं व ए0एन0सी0 क्लीनिकों पर गर्भवती महिलाओं की संख्या भी सम्मिलित की जाये जिनको खून/पेशाब की जाँच सुविधा प्रदान की गयी हो। प्रत्येक जनपद का लक्ष्य संलग्न तालिका (संलग्नक–1) पर प्रदर्शित है।

4.2. वर्तमान में प्रसव पूर्व सेवाओं के नवीन संशोधित मानकों एवं दिशा–निर्देशानुसार प्रदेश की कुल 50.00 लाख गर्भवती महिलाओं को इस योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक गर्भवती महिला की न्यूनतम 4–5 बार हीमोग्लोबिन, यूरीन एल्ब्यूमिन/शुगर, की जाँच की जायेगी। वर्ष में 2 बार मातृत्व सप्ताह के दौरान वी0एच0एन0डी0 स्तर से जिला चिकित्सालय स्तर तक सभी जाँचों की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्रसव के दौरान, पश्चात एवं पोस्ट ऑपरेटिव भर्ती के दौरान सभी जाँचें इसी मद से उपलब्ध करायी जायेगी। चिन्हित एच0आर0पी0 गर्भवती महिलाओं की अतिरिक्त जाँचें एवं प्रत्येक माह की 09 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक के आयोजन हेतु सभी जाँचों की व्यवस्था भी इसी मद से की जायेगी। प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क जाँचें उपलब्ध कराने हेतु उपकरण तथा कन्ज्यूमेबिल्स आवश्यकतानुसार राजकीय नियमों के अधीन क्रय किये जा सकते हैं। इसके साथ ही उनकी रिकरिंग कॉस्ट व मरम्मत आदि भी इस मद से करायी जा सकती है।

4.3. वर्तमान में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस हीमोग्लोबिन, यूरिन स्ट्रिप टेस्ट किट आदि निःशुल्क जाँचों हेतु उपकरण, रीएजेण्ट तथा रैपिड टेस्टिंग किट्स को सम्मिलित करते हुये प्रति लाभार्थी औसतन रू0 75.00 की दर से ही छः माह हेतु प्रथम किश्त की धनराशि आबंटित की जा रही है जो एफ0एम0आर0 कोड ए.1.6.2 पर उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा संशोधित दरें स्वीकृत किये जाने पर जनपदों को अतिरिक्त धनराशि आबंटित की जायेगी।

4.4. प्रत्येक स्तर की इकाई (L-1, L-2 & L-3) पर उपलब्ध करायी जाने वाली न्यूनतम आवश्यक निःशुल्क जाँचें निर्धारित की गयी हैं–

- ए0पी0एच0सी0, उपकेन्द्र तथा वी0एच0एन0डी0 (आउटरीच) स्तर पर – हीमोग्लोबिन रैपिड स्ट्रिप टेस्ट एवं साहली हीमोग्लोबिनोमीटर यूरीन (एल्ब्यूमिन व शुगर) की निःशुल्क जाँच।
- L-2/L-3 स्तर की ब्लॉक स्तर की पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 जहाँ पर लैब टेक्नीशियन/लैब असिस्टेण्ट की नियुक्ति है वहाँ – हीमोग्लोबिन, यूरीन की जाँच, ब्लडग्रुप, ब्लड शुगर, हेपेटाइटिस–बी टेस्ट, डब्ल्यू0आर0/वी0डी0आर0एल0 टेस्ट की निःशुल्क जाँच की सुविधा।
- L-3 स्तर की इकाइयों पर– हीमोग्लोबिन, यूरीन की जाँच, ब्लडग्रुप, GTT, HbsAg, VDRL, HIV Card test (by NACO) एवं सेमीऑटोएनालाइज़र के माध्यम से की जाने वाली जांचें।

4.5. प्रदेश में जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं कि वर्तमान में जिन जिला महिला इकाइयों पर यह सुविधा उपलब्ध है उन पर गर्भवती महिलाओं को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय। इसमें उपयोग होने वाले कन्ज्यूमेबिल्स (फिल्म, जेल एवं टिशू पेपर आदि) का क्रय भी राजकीय नियमानुसार इस मद से किया जा सकता है। यदि पुरूष चिकित्सालय में यह सुविधा उपलब्ध है तो गर्भवती महिलाओं को यह सुविधा वहां भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय तथा आवश्यकतानुसार उन्हें भी इस मद से कन्ज्यूमेबिल्स उपलब्ध कराये जायें।

4.6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जनपद की समस्त प्रसव इकाइयों, उपकेन्द्रों तथा आउटरीच सत्रों पर कार्यभार के आधार पर आवश्यक रिएजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स का मांग–पत्र इकाइयों के प्रभारियों से प्राप्त कर लें एवं शीघ्र ही रेट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर आगामी

एक वर्ष के लिये क्रय करने की कार्यवाही कर लें। इस मद में उपलब्ध राजकीय बजट का भी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

4.7. फर्मों द्वारा आपूर्ति की सुविधा के लिये क्रयादेश वर्ष में 3 या 4 फांट में (सुविधानुसार प्रत्येक त्रैमास) किया जाये। सभी जाँच किट्स एवं कन्ज्यूमेबिल्स की प्राप्ति की सत्यापित रसीद जनपदीय प्रसव इकाईयों एवं ब्लाक चिकित्सा प्रभारियों के स्तर से प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्य चिकित्साधिकारी सम्बन्धित फर्मों को भुगतान करें।

4.8. जनपद स्तर पर स्थापित एल–3 प्रसव इकाइयों (जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय) को अलग से बजट आबंटित कर दिया जाये जिससे वे स्वयं अपनी इकाइयों पर आवश्यक रिएजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था जिला स्वास्थ्य समिति में चर्चा कर उनके प्रसव भार एवं आवश्यकता का आंकलन करने के पश्चात कर ली जाये।

4.9. सभी राजकीय चिकित्सा इकाईयों एवं आउट–रीच सत्रों में निःशुल्क जाँच सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का है।

5. निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधाः–

5.1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से निर्गत पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/जे0एस0एस0के0/93/2011–12/2652–3 दिनांक 07.12.2011 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या–1019/पांच–1–2011 दिनांक 19.04.2011 द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त लाभार्थी महिलाओं को रक्त/रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज में छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार शासन के स्तर से जननी सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों को ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की स्थिति में कन्ज्यूमेबिल्स तथा जांचों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस लाभ के लिये सभी गर्भवती महिलायें अर्ह होंगी। इसके सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पुरूष चिकित्सालय व प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लड बैंक को भी अवगत करा दिया जाये जिससे प्रत्येक गर्भवती महिला/प्रसूता को आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की सुविधा हो सके। उचित होगा कि रक्तदान परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जाये।

6. ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था–

6.1. राज्य स्तर पर ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था के अन्तर्गत दो टोल फ्री नं0 प्रचलित हैं – 1800–180–1900 व 1800–180–1545। इन नम्बरों का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाये। पूर्ण पारदर्शिता के लिये चिकित्सालयों में सार्वजनिक स्थानों पर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं इकाई के प्रभारी के सम्पर्क नम्बर के साथ–साथ यह दो टोल फ्री नं0 भी प्रदर्शित होने चाहिए।

6.2. यह व्यवस्था प्रत्येक जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सुनिश्चित की जानी है। निर्देश दिये गये हैं कि जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर एक नोडल आफिसर नामित कर उसका सी0यू0जी0 नम्बर प्रदर्शित/प्रचारित कर दिया जाये। यह नम्बर चिकित्सा इकाई के बाहर नोटिस बोर्ड, ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0 आदि में पेन्ट से प्रदर्शित कर दिया जाये। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक साप्ताहिक दिवस निर्धारित कर शिकायतों का प्रति सप्ताह निस्तारण कर दिया जाये।

6.3. प्रत्येक प्रसव इकाई पर एक शिकायत पेटिका भी रख दी जाय एवं माह में एक दिवस निर्धारित कर शिकायतों का प्रति माह निस्तारण किया जाये। जनपद स्तर पर यह व्यवस्था लागू कर राज्य स्तर पर इसके अनुपालन की सूचना अवश्य प्रेषित कर दी जाये।

7. योजना का व्यापक प्रचार–प्रसारः–

7.1. यह योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी तथा जन हितकारी कदम है तथा इसके अन्तर्गत मिलने वाली समस्त निःशुल्क सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों तक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। प्रचार–प्रसार के लिए जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई गई 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की धनराशि में से योजना बनाकर जनपदीय स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

7.2. राज्य स्तर से जे0एस0एस0के पोस्टर का प्रारूप प्रेषित किया गया है। प्रत्येक जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाइयों, सी0एम0ओ0 ऑफिस पर न्यूनतम 07 फिट X 5 फिट के आकार के 02–02 फ्लैक्स बैनर अथवा वॉल–पेण्टिंग करायी जायें। यह जन सामान्य को आसानी से दिखाई देने वाले स्थान जैसे ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0, लेबर रूम आदि पर ही प्रदर्शित किया जाये।

7.3. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एक्रीडिटेड उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पंचायत घर, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी वॉल राइटिंग के माध्यम से जन–सामान्य को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले निःशुल्क प्रावधानों से अवगत कराया जाय।

7.4. समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं विशेषकर आशा, आंगनबाड़ी एवं ए0एन0एम0 को जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के बारे में सतत रूप से ब्लाक स्तरीय बैठकों में जानकारी प्रदान की जाये। उन्हें अर्न्तवैयक्तिक संवाद द्वारा समुदाय में जे0एस0एस0के0 के प्रचार–प्रसार हेतु प्रेरित भी किया जाये।

8. पर्यवेक्षण व अनुश्रवणः–

8.1. कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी, जनपदीय नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाय।

8.2. निविदा प्रक्रिया, वाउचर, लागबुक तथा प्रमाण पत्र मुद्रण आदि में होने वाला व्यय जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उपलब्ध 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की धनराशि से नियमानुसार वहन किया जाए।

9. रिपोर्टिंगः–

कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित किये गये जिला स्तरीय भौतिक प्रगति का रिपोर्टिंग प्रपत्र–19 व प्रपत्र 8–3 पर त्रुटिरहित एवं वास्तविक नियमित रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से राज्य स्तर पर जे0एस0वाई0 सेल, परिवार कल्याण निदेशालय को भेजी जाये इसे mchjsy@gmail.com पर भी ससमय प्रेषित किया जाय। वित्तीय सूचनाओं का आधार केवल पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया गया भुगतान होगा। किसी भी रिपोर्ट में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान किये बिना उसे भुगतान के रूप में प्रदर्शित न किया जाये।

10. वित्तीय व्यवस्था–

वर्ष 2016–17 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में विभिन्न निःशुल्क सुविधायें प्रदान किये जाने के लिये एफ0एम0आर0 कोड ए.1.6 के अन्तर्गत धनराशियां अवमुक्त की जा रही हैं।

- जिला महिला चिकित्सालयों में निःशुल्क औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स, निःशुल्क जाँचें तथा निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये उनके प्रसव भार का आंकलन कर आवश्यकतानुसार धनराशि जिला महिला चिकित्सालयों के एन0आर0एच0एम0 खाते में स्थानान्तरित कर दी जाये। इसके लिये उसी खाते का उपयोग किया जा सकता है जिसमें जननी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

- उपर्युक्त क्रम में कृपया यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जाय।
- किसी भी स्थिति में कोई भी भुगतान नगद नहीं किया जायगा।
- प्राविधानित धनराशि का मदवार व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाय।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0एस0के0/93–5/2016–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेश, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य/नियोजन, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
11. गार्ड फाईल।

(डॉ0 नीरा जैन)
महाप्रबन्धक मातृ स्वा0

Janani Shishu Suraksha Karyakram 1st release for FY 2015-16

S.NO.	Districts	Drugs & consumbales				Free Diagnostics		Free Diet				Total Pre ROP Release for 6 months under JSSK 15-16 in Lakh Rs.
		Expected NDs	Expected PWs targetted to b covered in the year	Expected Caesarean Section in the districts	Total release for 6 months based on last year rates for ANCs/NDs/LSCS	Expected PWs targetted to b covered in the year	Total release for 6 months based on last year rates	Expected CS del at L2&L3	Expected NDs del at L2&L3	Expected beneficiaries NDs del at L2&L3 (80%)	Total budget in Rs Lakhs for free diet (@Rs 200 for ND & Rs 500 for CS)	
		FMR Code A.1.6.1				FMR Code A.1.6.2		FMR Code A.1.6.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Agra	49213	105360	2789	135.64	105360	26.3400	2789	47208	37766	44.73850	206.7200
2	Aligarh	41577	98440	3003	123.30	98440	24.6100	3003	38643	30914	38.42150	186.3360
3	Allahabad	69688	152842	4842	200.58	152842	38.2105	4842	47756	38205	50.31000	289.1043
4	Ambedkar nagar	25970	57840	765	66.77	57840	14.46	765	15955	12764	14.67650	95.9015
5	Amethi	31133	48840	21	65.18	48840	12.21	21	21131	16905	16.95750	94.3500
6	Amroha	16211	49084	9	42.80	49084	12.27	9	15739	12591	12.61350	67.6795
7	Auraiya	17198	32278	0	37.90	32278	8.07	0	16181	12945	12.94500	58.9158
8	Azamgarh	49323	107812	1610	127.29	107812	26.95	1610	46351	37081	41.10600	195.3530
9	Badaun	47406	95568	579	111.58	95568	23.89	579	39395	31516	32.96350	168.4345
10	Baghpat	13248	27750	274	32.47	27750	6.94	274	12413	9930	10.61500	50.0228
11	Bahraich	50925	116288	3304	146.43	116288	29.07	3304	35585	28468	36.72800	212.2275
12	Ballia	45254	74789	466	99.65	74789	18.70	466	34008	27206	28.37100	146.7231
13	Balrampur	28175	79428	409	75.32	79428	19.86	409	22973	18378	19.40050	114.5775
14	Banda	34550	49146	0	70.25	49146	12.29	0	30231	24185	24.18500	106.7263
15	Barabanki	53118	83602	3232	136.88	83602	20.90	3232	43600	34880	42.96000	200.7443
16	Barielly	34938	117914	1325	107.22	117914	29.48	1325	32361	25889	29.20150	165.9048
17	Basti	40395	65359	2100	101.90	65359	16.34	2100	29330	23464	28.71400	146.9559
18	Bijnor	24461	86652	1509	81.26	86652	21.66	1509	21138	16910	20.68250	123.6035
19	Bulandshahr	41473	89817	661	101.18	89817	22.45	661	38158	30526	32.17850	155.8116
20	Chandauli	28490	49733	234	63.26	49733	12.43	234	18083	14466	15.05100	90.7411
21	Chitrakoot	19989	24775	5	39.31	24775	6.19	5	17932	14346	14.35850	59.8664
22	Deoria	50289	77067	1617	117.27	77067	19.27	1617	42839	34271	38.31350	174.8499
23	Etah	15246	47668	51	41.15	47668	11.92	51	14118	11294	11.42150	64.4910
24	Etawah	29591	34928	2734	79.36	34928	8.73	2734	26781	21425	28.26000	116.3485
25	Faizabad	35450	60490	1799	90.25	60490	15.12	1799	25393	20314	24.81150	130.1848
26	Farrukhabad	19309	48797	175	48.66	48797	12.20	175	17638	14110	14.54750	75.4091
27	Fatehpur	34741	58870	471	77.96	58870	14.72	471	30772	24618	25.79550	118.4688
28	Firozabad	32377	63801	142	73.63	63801	15.95	142	28500	22800	23.15500	112.7321
29	GB Nagar	15930	47389	262	43.76	47389	11.85	262	15768	12614	13.26900	68.8781
30	Ghaziabad	14407	77959	1689	64.36	77959	19.49	1689	14312	11450	15.67250	99.5194
31	Ghazipur	43949	83884	597	102.16	83884	20.97	597	21411	17129	18.62150	141.7485
32	Gonda	48518	95519	1741	122.52	95519	23.88	1741	40368	32294	36.64650	183.0509
33	Gorakhpur	62891	105780	1178	143.43	105780	26.45	1178	52215	41772	44.71700	214.5900
34	Hamirpur	20102	24559	420	42.72	24559	6.14	420	15843	12674	13.72400	62.5864
35	Hapur	7642	34220	14	24.41	34220	8.56	14	7599	6079	6.11400	39.0765
36	Hardoi	54124	112139	301	125.65	112139	28.03	301	53517	42814	43.56650	197.2474
37	Hathras	21917	36258	159	47.74	36258	9.06	159	19706	15765	16.16250	72.9713

S.NO.	Districts	Drugs & consumbales				Free Diagnostics		Free Diet				Total Pre ROP Release for 6 months under JSSK 15-16 in Lakh Rs.
		Expected NDs	Expected PWs targetted to b covered in the year	Expected Caesarean Section in the districts	Total release for 6 months based on last year rates for ANCs/NDs/LSCS	Expected PWs targetted to b covered in the year	Total release for 6 months based on last year rates	Expected CS del at L2&L3	Expected NDs del at L2&L3	Expected beneficiaries NDs del at L2&L3 (80%)	Total budget in Rs Lakhs for free diet (@Rs 200 for ND & Rs 500 for CS)	
		FMR Code A.1.6.1				FMR Code A.1.6.2		FMR Code A.1.6.4				
38	Jalaun	21319	36534	232	47.53	36534	9.13	232	17400	13920	14.50000	71.1683
39	Jaunpur	54734	97119	1380	129.56	97119	24.28	1380	42557	34046	37.49600	191.3364
40	Jhansi	27177	36570	2304	72.91	36570	9.14	2304	22308	17846	23.60600	105.6598
41	Kannauj	22426	38578	142	49.24	38578	9.64	142	17144	13715	14.07000	72.9563
42	Kanpur Dehat	22671	33756	74	47.26	33756	8.44	74	21884	17507	17.69200	73.3880
43	Kanpur Nagar	36863	74035	6094	131.81	74035	18.51	6094	36498	29198	44.43300	194.7514
44	Kasganj	19105	39160	0	43.34	39160	9.79	0	16190	12952	12.95200	66.0845
45	Kaushambi	31548	47433	251	67.12	47433	11.86	251	27022	21618	22.24550	101.2211
46	Kheri	59483	110060	436	133.99	110060	27.52	436	50554	40443	41.53300	203.0330
47	Kushinagar	51116	106172	5	116.53	106172	26.54	5	31648	25318	25.33050	168.4020
48	Lalitpur	28290	33549	669	60.37	33549	8.39	669	23925	19140	20.81250	89.5676
49	Lucknow	53466	86918	15777	239.01	86918	21.73	15777	52630	42104	81.54650	342.2853
50	Maharajganj	38208	76318	152	87.15	76318	19.08	152	30148	24118	24.49800	130.7248
51	Mahoba	14704	20942	333	32.57	20942	5.24	333	11858	9486	10.31850	48.1273
52	Mainpuri	22211	42752	23	49.53	42752	10.69	23	19484	15587	15.64450	75.8650
53	Mathura	23451	58344	335	59.74	58344	14.59	335	20394	16315	17.15250	91.4740
54	Mau	26730	46612	57	58.03	46612	11.65	57	14389	11511	11.65350	81.3370
55	Meerut	24729	81221	2922	90.93	81221	20.31	2922	24218	19374	26.67900	137.9116
56	Mirzapur	41056	53952	2088	98.52	53952	13.49	2088	31964	25571	30.79100	142.7990
57	Moradabad	22382	81481	2304	82.56	81481	20.37	2304	20763	16610	22.37000	125.3006
58	Muzaffar Nagar	26192	63759	5090	103.92	63759	15.94	5090	23836	19069	31.79400	151.6514
59	Pilibhit	19639	51282	409	51.96	51282	12.82	409	18747	14998	16.02050	80.8023
60	Pratapgarh	45794	75540	1905	112.26	75540	18.89	1905	29324	23459	28.22150	159.3650
61	Raebareli	45352	53852	2183	105.69	53852	13.46	2183	39092	31274	36.73150	155.8810
62	Rampur	20072	59244	1408	63.59	59244	14.81	1408	19263	15410	18.93000	97.3295
63	Saharanpur	32671	90426	6249	132.91	90426	22.61	6249	30501	24401	40.02350	195.5383
64	Sambhal	24667	61696	0	60.14	61696	15.42	0	24230	19384	19.38400	94.9445
65	Sant kabir Nagar	30814	52066	370	68.71	52066	13.02	370	15575	12460	13.38500	95.1073
66	Shahjahanpur	29088	85804	136	76.90	85804	21.45	136	27944	22355	22.69500	121.0425
67	Shamli	12060	32373	32	30.49	32373	8.09	32	11816	9453	9.53300	48.1121
68	Shravasti	28445	47449	40	60.78	47449	11.86	40	22655	18124	18.22400	90.8671
69	Sidharth nagar	31664	98667	234	86.37	98667	24.67	234	21458	17166	17.75100	128.7859
70	Sitapur	77845	127519	313	167.09	127519	31.88	313	70853	56682	57.46450	256.4354
71	Sonbhadra	24288	53051	23	56.51	53051	13.26	23	16337	13070	13.12750	82.9004
72	SRN Bhadohi	23841	36793	14	49.67	36793	9.20	14	12683	10146	10.18100	69.0501
73	Sultanpur	38933	53219	1824	92.95	53219	13.30	1824	27459	21967	26.52700	132.7804
74	Unnao	39675	63668	638	88.49	63668	15.92	638	37726	30181	31.77600	136.1850
75	Varanasi	38073	69441	3067	107.69	69441	17.36	3067	22882	18306	25.97350	151.0196
		2500000	5000000	100000	6425.00	5000000	1250.00	100000	2056310	1645042	1895.04200	9570.0420